

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 के  
अनुपालन में अमीन के सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों  
द्वारा दिये गये विकल्प पत्र।

विकल्प पत्र—02 नं०

छात्र नं ३०८१ अंडा र चुम्ब म स्थानात्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-१

क्रमसं	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
	360017652	प्रमोद कुमार अमीन	अस्थाई खण्ड, लो०निंदि०, भवाली	1. निर्माण खण्ड, लो०निंदि०, रानीखेत 2. निर्माण खण्ड, लो०निंदि०, अल्मोड़ा 3. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, अल्मोड़ा 4. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, रानीखेत 5. रामगढ़ खण्ड, लो०निंदि०, रानीखेत 6. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, बागेश्वर 7. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, पिथौरागढ़ 8. निर्माण खण्ड लो०निंदि०, लोहाघाट 9. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, चम्पावत 10. प्रान्तीय खण्ड, लो०निंदि०, डीडीहाट	अमीन के पद पर नियमित नियुक्ति वर्ष 2015 में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानात्तरण सूची में क्रमांक 1 के कम में

### हस्ताक्षर कार्मिक

नामः— प्रमोद कुमार  
पदनामः—अमीन

२५। १। २०२३  
 नामः—इ०एम०एम०सुशीलीसुप०जीमियन्ता  
 पदनामः—आधिकारीइअधिकारीउ०प०जीवन्तो  
 भवाली

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पत्र कार्डिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्राकृप-1

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	010022293	राम बालक चर्मा, अमीन	प्रान्तीय खण्ड, लो०निंविं	देहरादून	(राम बालक चर्मा, अमीन के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता सूची (सुगम से दुर्गम) में श्री रामबालक चर्मा, अमीन का नाम क्रमांक-2 पर अंकित है। इनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवगत करता गया है कि ये वर्तमान में जिला देहरादून के अमीन संघ के जनपदीय अध्यक्ष होने के कारण स्थानान्तरण एवं की धारा-17 (2) (घ) के अन्तर्गत छूट होने के कारण स्थानान्तरण हेतु छूट चाही गयी है। (प्रार्थना पत्र सलिल)।

(राम बालक चर्मा)  
अमीन  
प्रान्तीय खण्ड, लो०निंविं  
प्रांख्य, लो०निंविं  
देहरादून

(प्रवीन कुश)  
आधिशासी अधियनता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०निंविं  
देहरादून

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
देहरादून।

विषय :— मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी अमीन संघ का जनपदीय अध्यक्ष है। अमीन संघ के जनपदीय अध्यक्ष होने के कारण स्थानान्तरण एकट की धारा-17(2) (घ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण नियमावली में छूट का प्राविधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी को स्थानान्तरण एकट में छूट मिल सके।

आपकी अति कृपा होगी।

ज्ञान स० १०६०  
फाईल -३६  
दिनांक ०३/०५/२३

~~ECII~~  
~~AM~~  
~~AM~~

भवदीय,

०८/०३/२०२३  
(राम बालक वर्मा)

अमीन

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
देहरादून

# उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन संघ

उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून।

(मानसिक प्राप्त सं० 1606/III(1)/14-09(46)/14 देहरादून, दिनांक 26 अगस्त 2014)

सम्बद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड

मंगल रिंह नेगी

प्रदेश अध्यक्ष

पा० खण्ड लो०नि०वि०, नई टिहरी  
सम्बन्ध पी०ए०जी०ए०स०वा०इ० सि०ख० नई टिहरी

९४१०१९६५४८, ९४११७४३२९१



हिमानन्द भट्ट

प्रदेश सचिव

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, नरेन्द्र नगर,

९७५८६१०८७४

पत्रांक

२३६१ / १७८१-८७

दिनांक - २८/३/२०

संस्कृता श्री  
अनुष्ठान द्वारा  
क्रमांक १०८०देखिए  
लोक निर्माण विभाग द्वारा देखिए विभाग की विभिन्न देखिए  
जानी वाले विभाग के विभिन्न देखिए।—३१४४—  
उपरोक्त राज्यपाल द्वारा आयोजित देखिए की एवं कामान्तरालाला  
२६/३/२०२३ को जनपद देखिए द्वारा आयोजित देखिए की एवं कामान्तरालाला  
देखिए  
देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए

- ① उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए  
 ② उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए  
 ③ उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए

क्रमांक - उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देखिए देखिए देखिए

( देखिए देखिए )

( देखिए देखिए )

क्रमांक - निर्माण विभाग देखिए देखिए देखिए

- ① श्रीमिति देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए

② श्रीमिति देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए

③ श्रीमिति देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए

देखिए

रामेश्वर  
( रामेश्वर मिशन )  
कुटुंब क्रेस्ट

१७ APR 2021

R.G.

रामेश्वर  
( रामेश्वर मिशन )  
कुटुंब क्रेस्ट